



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F.No.9-135/2018-Admn/1875

दिनांक: 06/01/2023

परिपत्र संख्या. 20/2022-23

विषय: समर्थ (SAMARTH) पोर्टल पर अवकाश प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में।

सभी नियमित शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का इस ओर ध्यानाकर्षण किया जाता है कि आईसीटी विभाग द्वारा समर्थ (SAMARTH) पोर्टल पर अवकाश प्रबंधन प्रणाली (अवकाश शेष, अनुमोदन पदक्रम) क्रियाशील कर दी गई है।

अतः, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 09/01/2023 से सभी नियमित शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को अवकाश के लिए आवेदन केवल समर्थ पोर्टल पर करना अनिवार्य है। सभी अधिष्ठाताओं, अध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अवकाश केवल समर्थ पोर्टल पर ही स्वीकृत करें।

किसी भी तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर कृपया सिस्टम एनालिस्ट से sa.ict@cug.ac.in पर संपर्क करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ड. प्र. पटेल
06/01/23
कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति: (ई-मेल द्वारा)

1. सभी नियमित शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
2. कुलपति सचिवालय
3. परिपत्र फाइल

